

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0  
धामपुर जिला बिजनौर 246761  
CIN: U31200UP2003SGC027458



9193300802 Email- edd2dpr@gmail.com

Office  
Executive Engineer  
Electricity Distribution Division-II  
PaschimanchalVidyutVitran Nigam Ltd  
Dhampur, District Bijnor -246761  
CIN: U31200UP2003SGC027458  
919338002 Email-edd2dpr@gmail.com

पत्रांक :- 3635 / पूर्ण जमा योजना / 2023-24 / स्वीकृति

दिनांक:- 16/06/23

आवेदन संख्या 1008290131

स्वीकृति संख्या -112/2023-24

आवेदनकर्ता का नाम-श्रीमती कृष्णा पत्नि श्री संसार सिंह निवासी ग्राम कासमपुर धन्ना माफी उर्फ पट्टी ब्लांक बुढनपुर जिला-बिजनौर, मोबाईल 7617674176 को निजी नलकूप/पप्पसैट 8 अश्वशक्ति के लिये निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृति किया जाता है।

नलकूप लगाने का स्थान-

विद्युत शक्ति का प्रयोग स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।

1. यदि उपभोक्ता उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त विद्युत का उपयोग करता पाया गया तो उसकी विद्युत लाईन बिना सूचना के काटी जा सकती है जिसका उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. विद्युत शक्ति किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी के नाम न तो की जा सकेंगी और न ही हस्तान्तरित की जा सकेंगी।
3. विद्युत शक्ति का प्रयोग उपरोक्त स्वीकृत समय ,
4. क्रयाओं के अतिरिक्त किसी और उपक्रियाओं के लिये नहीं किया जायेगा।
5. यह विद्युत शक्ति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि यदि उपभोक्ता अधिशाली अभियन्ता से अनिमानित धन व्यय के जमा करने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अनुमान पत्र की धनराशि जमा करके सूचित नहीं करते है तो यह स्वीकृती रद्द कर दी जायेगी जिसके लिये उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. किसी भी कृषक के खेत को पानी देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

यदि सम्बन्धित ईकाई अथवा उपभोक्ता/परिसर पर विद्युत बकाया हो तो उक्त विद्युतभार अवमुक्त नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। यदि भूमि पर पूर्व से बकाया है तथा भूमि का क्रय-विक्रय हुआ है तो क्रयता से पूर्व की धनराशि वसूली जायेगी।

8. निजी नलकूप आवेदक का कार्य स्थल सरकार द्वारा डार्क जोन घोषित होने पर उक्त स्वीकृति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

9. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर संयोजन स्वीकृत करने के उपरान्त यदि किसी जायज वारिस/सम्बन्धी द्वारा आपत्ति की जाती है अथवा प्रस्तुत पत्रावली में कोई त्रुटि पायी जाती है तो स्वीकृति तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी तथा इसके लिये खण्ड कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

10. सामान्य योजना में शासन से लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त प्राथमिकता के क्रम में सामग्री प्राप्त हो सकेंगी तथा तभी ऊर्जाकरण सम्भव होगा।

11. यदि उक्त स्वीकृति निजी नलकूप की साईट क्षेत्र चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है तो आवेदक के चक परिवर्तन पर उक्त संयोजन के सम्बन्ध में कार्यवाही विभागीय नियमानुसार की जायेगी तथा उक्त स्वीकृति चकबन्दी प्रक्रिया को बाधित करने का किसी भी रूप में आधार नहीं होगी।

12. यदि उक्त स्वीकृति निजी नलकूप की लाईन बनाने पर किसी भूमि स्वामी द्वारा आपत्ति प्रकट की जाती है तो उसका दायित्व आवेदक का होगा तथा अन्यत्र लाईन बनाने के प्रांकलन की धनराशि आवेदक द्वारा जमा की जायेगी अर्थात् लाईन बनाने का समस्त दायित्व एवं भूमिस्वामी से अनापत्ति प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा।

13. प्रकमण शुल्क की धनराशि रू0-100/-चालान संख्या- P53699654 ट्रांजैक्शन आईडी YHDF1948755954 दिनांक 16/06/2023 द्वारा धनराशि जमा।

14. विद्युत स्वीकृति हेतु लाईन का निर्माण उपभोक्ता स्वयं अपने खर्चे पर करायेंगे क्योंकि लाईन के निर्माण में व्यय होने वाली धनराशि अनुमान पत्र में सम्मिलित नहीं की जाती है।

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक:- / पूर्ण जमा योजना / 2021-22 / स्वीकृति

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड- अफजलगढ/भिककावाला /स्योहारा, प्रथम/ द्वितीय को आशय से प्रेषित की जाती है कि उपरोक्त उपभोक्ता का अनुमान पत्र बनाकर शीघ्र ही खण्ड कार्यालय को प्रेषित करें ताकि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।
2. उपरोक्त उपभोक्ता ।

अधिशाली अभियन्ता